कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60304 / वो–2 / 2020 / 12 दिनांकः 29.10.2020

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
4. समस्त संस्था प्रधान / पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), राजकीय विद्यालय।

विषयः– शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन एसीपी एवं स्थायीकरण आवेदन के संबंध में।
प्रसंगः– इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक : 20.01.2020, 27.07.2020, 09.10.2020 एवं 23.10.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक आदेशों के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों के एसीपी एवं स्थायीकरण आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन करने के संबंध में मार्गदर्शन तथा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। कतिपय कार्यालयों / कार्मिकों द्वारा अग्रांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, जिनके संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. **राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा (RVRES) के कार्मिक** :– राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा (RVRES) के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों से शिक्षा विभाग में समायोजित कार्मिकों के आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) प्रकरणों के निस्तारण की सुविधा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा (RVRES) के कार्मिकों के एसीपी प्रकरणों को पूर्व की भांति ऑफलाईन आवेदन प्राप्त कर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. **नोशनल लाभ प्राप्त कार्मिक** :– नोशनल लाभ प्राप्त शिक्षा विभाग के कार्मिकों के एसीपी प्रकरण शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही निस्तारित किए जाने हैं। शाला दर्पण पोर्टल के विस्तृत विवरण प्रपत्र–10 में नोशनल लाभ की तिथि के अंकन हेतु प्रावधान प्रक्रियाधीन है, अतः यह सुनिश्चित करें कि विस्तृत विवरण प्रपत्र–10 के सेवा विवरण में वर्तमान में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि का ही अंकन किया जावे।
3. **स्थायीकरण से पूर्व जिला / मण्डल परिवर्तन से प्रभावित होने वाले कार्मिक** :– यदि किसी कार्मिक का स्थायीकरण आदेश जारी होने से पूर्व ही स्थानान्तरण अथवा उच्च पद पर चयन होने के कारण जिला / मण्डल परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे कार्मिक परिवीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि को जिस जिले / मण्डल में पदस्थापित रहे हैं, उस जिले / मण्डल द्वारा उनका स्थायीकरण आदेश शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाईन आवेदन द्वारा ही जारी किया जाएगा। रिशफल द्वारा जिला / मण्डल परिवर्तन के संबंध में कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक : शिविरा–मा. / संस्था / एफ–1 / 12102 / सी.भ. / व.अ.–2016 / विभिन्न विषय / रिशफल आवंटन / 2020, दिनांक : 09.10.2020 द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि रिशफल से प्रभावित कार्मिकों का स्थायीकरण नवीन आवंटित जिला / मण्डल द्वारा किया जाएगा।
4. **महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक** :– महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित विद्यालयों में मापदण्डानुसार शासन द्वारा पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण ऑफलाईन कार्यरत कार्मिकों के एसीपी एवं स्थायीकरण आवेदन ऑफलाईन (ऑनलाईन कार्यग्रहण होने तक) प्राप्त कर निस्तारित करें।

संबंधित जिला / मण्डल स्तरीय कार्यालय उपर्युक्तानुसार एसीपी एवं स्थायीकरण प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान–जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
5. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर